न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर

फर्द अहकाम

मु0न0:– 55/2023

उनवान:– गोपाल बनाम हल्लू वगै0

25

पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष वकील उपस्थित,उभयपक्ष वकील की प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गई। सायलान वकील ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात सायलान व दावे के पक्षकार प्रतिवादी न0 5 की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। जिससे गैरसायलान का किसी प्रकार का कोई संबध नही है। सायलान वर्णित आराजीयात को अपने पिता के समय से ही आज तक लगातार काबिज काश्त रहे है। गैरसायलान आये दिन सायलान को काश्त करने मे मजाहमत व रूकावट पैदा करते रहते है। सायलान का प्राईमाफेसी केस बखूबी साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को ख0न0 76/0.17, 25/0.10 है0 मे कब्जे काश्त मे बाधा पैदा नही करने हेतु पाबन्द किया जावे।

गैरसायलान वकील ने जबाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि ग्राम महेन्द्रवाडा की आराजीयात ख0न0 76 रकबा 0.17 है0 ख0न0 25 रकबा 0.10 है0 को आज से 22 वर्ष पूर्व सायलान के पिता सूरजभान से गैरसायल हल्लू ने 50,050/– मे प्रोमेसरी नोट के 2 रू0 प्रति सैकडा प्रति माह की दर से देने पर क्रय की है एव तभी से गैरसायलान का कब्जा काश्त है, इस प्रकार सायलान के पिता सूरजभान व उनके वारिसो ने रकम वापिस नही करने पर वर्णित आराजीयात को क्रय किया है। वर्णित आराजीयात से सायलान का कोई संबध किसी प्रकार का नही है। अतः कब्जे के अभाव मे सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन किया पत्रावली मे शामिल प्रार्थना पत्र व जबाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। पत्रावली मे शामिल जमाबन्दी मे सायलान मुताबिक जमाबन्दी हिस्सानुसार खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। गैरसायलान मुताबिक जमाबन्दी खातेदार काश्तकार दर्ज नही है गैरसायलान द्वारा प्रस्तुत जबाब प्रार्थना पत्र व बहस मे आराजीयात को क्रय करने का कथन किया है लेकिन क्रय करने का विक्रय पत्र आदि कोई दस्तावेज पेश नही किया है। गैरसायलान ने प्रिमिसरी नोट पेश किया, सायल वकील ने बहस के दौरान कथन किया है कि प्रकरण मनी शूट से संबधित है राजस्व वाद मे भूमि क्रय/कब्जे का रजिस्टर्ड दस्तावेज पेश नही किया है, गैरसायलान द्वारा प्रस्तुत पत्रावली मे दस्तावेजात से यह साबित नही होता है कि सायलान के पिता ने गैरसायलान को भूमि बेचान की हो, उक्त विवेचन से प्रथम दृष्टया प्रकरण सायलान के पक्ष मे साबित होने से सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। अर्थात दिनांक 04.07.2023 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को ता दावा फैसला कन्फर्म किया जाता है।

आदेश

अतः ग्राम महेन्द्रवाडा की आराजी [illegible] 6/0.17, 25/0.10 है0 मे गैरसायलान को ता दावा फैसला [illegible] पाबन्द किया जाता है कि रिकार्ड व मौके की [illegible] रखे।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2025 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:09:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner